## कार्यालय, प्राचार्य, नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा , अभनपुर

# पुस्तकालय एवं वाचनालय संबंधी नियमः-

1. प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्रा को शुल्क का भुगतान करने के बाद रसीद को दिखाकर ग्रंथपाल से अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवा लेना चाहिए।

2.ग्रंथपाल सूचना जारी करेंगे जिसमें पुस्तक देने के प्रत्येक कक्षा हेतु दिन और समय निर्धारित रहेंगें। पुस्तकें निर्धारित दिन और समय में दी जावेंगी।

3. संदर्भ ग्रंथों को पढ़ने के लिए ग्रंथपाल प्रातः10:30 बजे से संध्या 4.00 बजे तक खुला रहेगा।

4. स्नातक कक्षाओं के लिए प्रति छात्र दो पुस्तकें और बी.एड./बी.पी.एड. कक्षाओं के लिए प्रति छात्र तीन पुस्तकें पन्द्रह दिनों के लिए दी जावेगी।

5. पुस्तक वापसी की निर्धारित तिथि 15 दिन के बाद से 20 दिनों तक 1.00 रू. प्रतिदिन प्रति पुस्तक और उसके बाद 2.00 रू प्रतिदिन प्रति पुस्तक वापसी की तिथि तक अर्थदण्ड के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

6. पुस्तकालय तथा वाचनालय कार्यालयीन समय में छात्र/छात्राओं के लिए खुला रहेगा।निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात छात्र/छात्रा विषय संबंधित पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं।

7. पुस्तक नियत समय 15 दिन के लिए दिया जायेगा।

8. पुस्तक लौटाने पर उसी पुस्तक को तुरंत दोबारा प्रदान नहीं किया जावेगा।

9. पुस्तक को खराब करने गुमाने पर पुस्तक की कीमत नियमानुसार चुकाना पड़ेगा।

10. प्रत्येक विद्यार्थियों को 2 टिकट दिया जाएगा, एक टिकट पर केवल एक ही पुस्तक प्रदान किया जायेगा। पुस्तक लेते समय टिकट लेकर आना अनिवार्य है।

11. टिकट गुम हो जाने पर एक टिकट का 10 रू. जमा कर डुप्लीकेट टिकट प्राप्त किया जा सकता है। टिकट पर दी गई पुस्तक के लिए विद्यार्थी उत्तरदायी होगा।

12. ग्रंथापल आवश्यकता होने पर पुस्तक को नियत समय से पूर्व वापस मंगवा सकते है।

13. परीक्षा पूर्व अदेय प्रमाण पत्र के समय ग्रंथपाल को पुस्तके एवं टिकट प्रत्येक विद्यार्थी को लौटाना अनिवार्य है।

14. पुराने प्रश्न-पत्र , पत्र-पत्रिकाएँ, आवश्यक फोटोग्राफ, संदर्भ ग्रंथ की पुस्तके विद्यार्थियों को टिकट पर प्रदान नहीं किया जावेगा। उक्त को ग्रंथालय अध्ययनकक्ष में अपना परिचय पत्र जमा करने पर अध्ययन हेतु ग्रंथालय समय में उपलब्ध है।

15. ग्रंथालय के अंदर गंदगी करना, शोर-गुल करना, मोबाईल से बातचीत करना पूर्णतः वर्जित है, कृपया अपना मोबाईल बंद रखे।

16. ग्रंथालय में नेट से प्रिंट आउट प्रति पेज 2 रू. व फोटोकॉपी प्रति पेज 1 रू.की दर से किया जाता है। (केवल विद्यार्थियों के लिए)

प्राचार्य

# Computer Lab Rules

**C**ome to class with clean hands.
**O**perate equipment properly.
**M**ake sure you listen to directions.
**P**ush your chair in when you leave.
**U**se your inside voice.
**T**ouch the keyboard lightly.
**E**at and drink outside of the lab.
**R**emember to ASK before printing.

**L**earn something new every lab day.
**A**lways do your best work.
**B**e respectful to your classmates.

कार्यालय, प्राचार्य, नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाठा , अभनपुर , रायपुर

# रैगिंग महाविद्यालय में पूर्णतः प्रतिबंधित है

**रैगिंग क्या है:-**

**रैगिंग के अन्तर्गत :-**

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीनता क्रियाकलापों में संलग्न होना, जिसमें नये छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रों को ऐसा काम करने को कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्य ढंग से नहीं कर सकता/ सकती और जिसमें शर्म या अपमान का अनुभव हो, अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो। छ.ग. राज्य की शैक्षिक एवं कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 (कर्नाटक अधिनियम, नं. 1, 1995) अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है:- किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या डरा - धमकाकर गलत ढंग से रोककर, गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुंचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

**रैगिंग का स्वरूप :-**

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पायी जाती है:-

स्पष्ट आदेश :- सीनियर छात्रों को ''सर'' कहनें के लिए।

1. सामूहिक कवायद करने के लिए।
2. सीनियरो के लिए क्लास नोट्स उतारनें के लिए।
3. अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए।
4. सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करनें के लिए।
5. अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए।
6. नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आघात पहुंचाने हेतु।
7. अश्लील चित्रों को देखने के लिए।
8. शराब उबलती हुई चाय पीने के लिए बाध्य करना।
9. कामुक संकेतार्थ वाले कार्य - समलैंगिक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना।
10. ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।
11. नंगा करना, चुंबन लेना, अन्य अश्लीलताएँ करना आदि।

उपर्युक्त से विदित होता है कि उक्त सभी रैगिंग के विकृत दायरे से युक्त है।

**रैगिंग में लिप्त होने पर दी जाने वाली दण्ड:-**

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति या अन्य सुविधाएँ रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रूपये 25 हजार रू. तक।
9. भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार कार्यवाही हेतु पुलिस प्रशासन व न्यायालय मे मामला दर्ज करना।

**रैगिंग हेल्पलाइन नम्बर - 24X7**

99261-62630 - Dr. V.K. Mishra

81093-79042- Dr. [illegible]

0771-2774228- Police Station Abhanpur

प्राचार्य